



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/सिंचाई पाईप लाईन /2025-26/ 14362-14533 दिनांक : 24/03/25
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.....

विषय :- वर्ष 2025-26 में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - डीपीआर तथा राज्य योजना अन्तर्गत सिंचाई पाईप लाईन क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश।

राज्य में उपलब्ध सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग द्वारा जल संरक्षण कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई पाईप लाइन के उपयोग से 20 से 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा अनुसार 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन स्थापना गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना है। सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग एवं जल संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु उक्त गतिविधि के तहत राज्य के पात्र कृषकों सिंचाई पाईप लाइन क्रय कर स्थापित करने पर अनुदान से लाभान्वित किया जाना है। वर्ष 2025-26 में सिंचाई पाईप लाईन क्रियान्वयन के दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

(अ) कृषक के लिए निर्देश

1. अनुदान के लिए पात्रता

- 1.1. भू स्वामित्व: कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिये।
- 1.2. जल स्रोत: जिन कृषक के पास कुएँ पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित/सोलर पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती कुँए/ट्यूबवैल पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा। सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग-2 अनुदान देय होगा।
- 1.3. जिस क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा नहर/बॉध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित किया गया है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु पाईप लाइन पर अनुदान देय होगा।
- 1.4. जिन कृषकों के नाम से सिंचाई स्रोत नहीं है एवं ऐसे कृषक अन्य कृषक से जिसके नाम से सिंचाई स्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाइन स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्रोत वाले कृषक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
- 1.5. कुँए/ट्यूबवैल एवं अन्य जल स्रोत यथा डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज इत्यादि होने पर भी अनुदान देय होगा।
- 1.6. अनुदान उसी कृषक को देय होगा जिसने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो।
- 1.7. कृषकों द्वारा एक ही ब्रांड, नाम व मैक की पाईपलाइन क्रय किये जाने पर अनुदान देय होगा।
- 1.8. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त पाईप लाईन के रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।
- 1.9. विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 60 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तो कृषक को एमएस के माध्यम से अंतिम सूचना देते हुए कार्य पूर्ण किये जाने के लिए 30 दिवस में कार्य पूर्ण करने पर प्रशासनिक स्वीकृति का निराकरण किया जाएगा ताकि उक्त 30 दिवस में भी कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक स्वीकृति का निराकरण किया जाएगा ताकि

Signature valid

Digitally signed by Chiranjayee

Designation: Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:54 IST

Reason: Approved

वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकें। विशेष परिस्थितियों में कृषकों के व्यापक हित में कृषि आयुक्तालय द्वारा उक्त अवधि में शिथिलता दी जा सकेगी।

- 1.10. वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर कृषक द्वारा 31 मार्च 2026 तक ही कार्य पूर्ण किया जाएगा।
- 1.11. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में कृषि विभाग की योजनानुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उत्पादन आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होने के क्रम में मंदिर के नाम खेती की जमीन पर सिंचाई पाईपलाइन स्थापना करने पर निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान के लिये पात्र होंगे।
- 1.12. सिंचाई पाईप लाइन स्थापना हेतु वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अन्तर्गत पट्टा धारक जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि का पट्टा हो, अनुदान के पात्र होंगे। इस संबंध में FRA पट्टा धारक का हिस्सा केवल 10 प्रतिशत होगा और शेष 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केन्द्र या राज्य सरकार अथवा दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।

2. अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

- 2.1. ऑन-लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ कृषक को जमाबन्दी की नकल (छ: माह से पुरानी न हो)/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- 2.2. आवेदन हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
- 2.3. जिन कृषकों का जन आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उनको ही लघु एवं सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान हेतु पात्र समझा जावे। यदि जनाधार में लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, किन्तु जन-आधार में लघु/सीमान्त श्रेणी पंजीयन होने अथवा सक्षम स्तर से लघु/सीमान्त श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कृषक की लघु/सीमान्त श्रेणी तभी मान्य होगी जब संलग्न जमाबन्दी के दस्तावेजों में कृषक के हिस्से में जमीन लघु/सीमान्त श्रेणी की सीमा में हो। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार लघु/सीमान्त श्रेणी में होने पर ही इसका लाभ देय होगा।

3. अनुदान हेतु पाइप लाइन का विवरण

- 3.1. कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप कय कर स्थापित करने पर ही कृषकों को अनुदान देय होगा।
- 3.2. अनुदान प्रक्रिया में शामिल बी.आई.एस. मार्का पाईप लाइन का विवरण निम्नानुसार है-

	अवयव	आई.एस. कोड	विवरण
पाईप लाइन	पाईप	4984/17425:2020	एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप
		4985(4 किग्रा/सेमी ² -63 एमएम व इससे अधिक) तथा	जल आपूर्ति हेतु पी.वी.सी. सिंचाई पाईप
		(2.5किग्रा/सेमी ² -90 एमएम व इससे अधिक)	
		IS 16190 : 2014 (63 एमएम व इससे अधिक तथा 200 एमएम व इससे अधिक)	

Signature valid

Digitally signed by Chintmayee Gopal, DN: cn=Chintmayee Gopal, o=Commissioner, Date: 2025.03.24 18:17:54 IST Reason: Approved

3.3. अनुदान 63 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के पाईपों पर ही देय होगा।

4. अनुदान की सीमा

4.1. सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रु. 35/- प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रु. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट द्यूब पाईप पर, अधिकतम राशि रुपये 15000/- जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 3000/- जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान देय होगा।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

- 5.1. कृषक नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान/नागरिक लॉन इन पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
- 5.2. आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र (e-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करने होंगे।
- 5.3. आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा।
- 5.4. आवेदन पत्र की Online Scrutiny के समय आवेदन में कोई कमी पायी जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर इस बाबत एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अन्दर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त होने के बाद पुनः बहाल नहीं किया जाएगा।
- 5.5. आवेदनकर्ता आवेदन के पश्चात् राज किसान सुविधा मोबाईल एप अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाईन कर सकते हैं।
- 5.6. किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ब) विभागीय कार्यालयों के लिए निर्देश

6. आवेदन पत्रों का निस्तारण

- 6.1. कृषि आयुक्तालय से जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2024-25 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2025-26 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।
- 6.2. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे, जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषकों को 40 प्रतिशत अनिवार्यतः स्वीकृत किया जाएगा।
- 6.3. जिलों में 'पहले आओ - पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदन वरीयता के क्रम में शामिल किये जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा The Scrutiny कार्यवाही की जावेगी। ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने पर सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर कृषक की पत्र निरस्त की जावे।

Signature valid

Digitally signed by Gopal Chandra Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:54 IST
Reason: Approved

- 6.4. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्राथमिकता सूची में कृषक का चयन होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व यदि आवेदक कृषक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त जमीन/मुख्वा/खसरा/चक/किला के संबंध में मृतक के स्थान पर वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु वारिसों से नामान्तरण/जमाबन्दी की प्रति सहित पत्र लिया जाकर अन्य शेष वारिसों की सहमति के आधार पर किसी भी एक या एक से अधिक वारिसों के नाम संयुक्त रूप से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।
- 6.5. ऑनलाइन आवेदन उपरांत कृषक का प्राथमिकता सूची में चयन होने में अक्सर काफी लम्बा समय लग जाता है। इस दौरान भाईयों में जमीन का बटवारा होने या नये खाले के निर्माण होने की स्थिति में पानी की आवक का स्थान बदल जाने या अन्य विशेष परिस्थिति वश चक/खसरा न. /मुख्वा/किला न. बदल जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से स्वीकृति उपरांत कृषक के नाम बदले हुए चक/खसरा/मुख्वा/किला न. की संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी-सीएडी/ आईजीएनपी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
- 6.6. यदि अपवाद स्वरूप जनाधार में कृषक की श्रेणी लघु/सीमान्त अंकित है परन्तु जमाबन्दी में जमीन का स्वामित्व अधिक है तो ऐसे मामलों में जमाबन्दी में दर्ज जमीन के दस्तावेजों का परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।
- 6.7. चूंकि विभाग द्वारा अनुदान केवल पाईप लाईन क्रय पर दिया जाता है। PVC पाइप लाईन को भूमि में दबाने हेतु 10-15 प्रतिशत श्रमिक कार्य यथासंभव मनरेगा से करवाये जाये। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक प8(5) आ.कृ./ज.उ.प्र. /मनरेगा/2020-21/1084-1207 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार दिशा-निर्देशों का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध हैं।

7. प्रशासनिक स्वीकृति

- 7.1. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र पाईपलाइन की पत्रावलियों का 15 दिवस में कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा। पाईप लाईन योजना हेतु प्री-वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक को पूर्व में अनुदान नहीं दिये जाने की टिप्पणी करनी होगी।
- 7.2. प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात खरीदी गयी सिंचाई पाईपलाइन पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले खरीदी गयी सिंचाई पाईपलाइन पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
- 7.3. कृषक के नाम प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने अथवा कार्य पूर्ण होने/भौतिक सत्यापन के उपरांत मृत्यु होने पर कृषक के कानूनन वारिस को अनुदान राशि का भुगतान राज किसान साथी पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद द्वारा किया जा सकेगा।

8. भौतिक सत्यापन

- 8.1. कृषक द्वारा सिंचाई पाईप लाइन स्थापना का कार्य पूर्ण करने के बाद राज किसान सुविधा मोबाईल एप के माध्यम से अथवा कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जायेगी, ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।
- 8.2. भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा हेतु पत्र एवं चयनित कृषक के निर्धारित जल स्रोत तथा उपयोग के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee

Gopal

Designation: Commissioner

Date: 20/03/24 18:54

Reason: Approved

सत्यापन एप के माध्यम से पाईप लाईन क्षेत्र में स्थापित होने के बाद जियो टेगिंग कर कृषक खेत के नक्शा मय खसरा संख्या अंकित कर अपलोड करेंगे।

- 8.3. कृषको द्वारा सिंचाई पाईप लाईन पर "कृषि विभाग से वर्ष 2025-26 में अनुदानित" का अंकन/एम्बोज करवाना आवश्यक होगा, भौतिक सत्यापन कर्ता इसकी सुनिश्चितता करेंगे। जिन पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं का गत वर्ष का स्टॉक शेष रह गया हो तो उसकी सूचना संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को 30 जून 2025 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा गत वर्ष के शेष स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने तथा इसकी रिपोर्ट पत्रावली में संधारित करवाने के उपरान्त ही ऐसे पाईपों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- 8.4. कृषक द्वारा सिंचाई पाईप लाईन कय किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आवंटित विभागीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी
- 8.5. भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मौके पर ही पाईप का मैन्यूफैक्चरिंग बैच नम्बर, कम्पनी का ISI मार्का नम्बर (सी.एम.एल. नम्बर) कम्पनी का ब्रांड, नाम, मैक, विक्रेता फर्म का नाम तथा कृषक द्वारा पूर्व में पाईपलाइन पर अनुदान नहीं दिया है ये अंकित किया जाए। पाईप लाईन कय का GST बिल अनिवार्य होगा।
- 8.6. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई पाईप लाईन विक्रेता द्वारा कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पंजीकरण दिशा-निर्देशों की पालना की जा रही है।
- 8.7. कृषकों द्वारा पी.वी.सी. पाईपलाइन को भूमि में दबाना आवश्यक है। खेत पर पी.वी.सी. पाईपलाइन स्थापित करने के लिए खोदी गयी ट्रेंच में पाईप दबाने से पूर्व बिन्दु संख्या 8.2 के अनुरूप आवंटित विभागीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। पाईप को भूमि में दबाने के उपरान्त किया गया भौतिक सत्यापन मान्य नहीं होगा तथा कृषक की फोटो भी पाईपलाइन के साथ खिंचवा कर अपलोड की जावें।
- 8.8. भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में पाईपलाइन स्थापित कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। चूंकि केवल एक ही कार्मिक/अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा अतः इसे पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जाना अपेक्षित है।
- 8.9. सत्यापन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस कृषक के द्वारा फव्वारा संयंत्र एवं एचडीपीई पाईप एक साथ कय किये गये हैं, भौतिक सत्यापन में फव्वारा एवं पाईपलाइन के पाइपों का अलग-अलग भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन कार्य किया जावे।
- 8.10. यदि भौतिक सत्यापन के समय सिंचाई पाईप लाईन विभागीय मापदण्ड के अनुरूप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को एसएमएस के द्वारा मय कारण सहित अवगत कराई जावेगी या राज किसान सुविधा ऐप में भी कृषक देख सकेंगे।

9. वित्तीय स्वीकृति

- 9.1. वर्ष 2024-25 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।
- 9.2. पाईपलाइन कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि का भुगतान पीएम कृषि विभाग - डीपीआर तथा राज्य योजना अन्तर्गत संबंधित जिले को आवंटित लक्ष्य अनुषंग में किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee

Designation: Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:54 IST

Reason: Approved

- 9.3. दिशा निर्देशों की नियमानुसार पालना करते हुये आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए दस्तावेजों की जांच एवं भौतिक सत्यापन पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी/परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार) सीएडी/उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी बीकानेर वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आवेदक के जनाधार से जुड़े खाते में ही देय होगा।
- 9.4. उप जिला/जिला स्तर पर स्वीकृति प्रदत्त आवेदनों के रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।
- 9.5. वित्तीय वर्ष 2024-25 में उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं एवं जिनका भौतिक सत्यापन किया जा चुका है अर्थात् केवल बजट अभाव/पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया ऐसे आवेदन ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में माने जाएंगे।

10. निरीक्षण

- 10.1. स्वीकृत कार्यों का अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, सहायक कृषि अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत निरीक्षण राज किसान साथी पोर्टल पर विकसित मोड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।
- 10.2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् प्रत्येक माह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यों की समय-2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेंगे।
- 10.3. सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मामले के विवाद में आयुक्त कृषि, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

11. सामान्य निर्देश

- 11.1. पाईप लाईन पर अनुदान उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा द्वारा विभाग के वेब पोर्टल/जन सूचना पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।
- 11.2. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को आवंटित लक्ष्यों में मांग/सर्मपण, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 11.3. पाईपलाइन योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों से अधिक पाईपलाइन के भुगतान हेतु विभाग बाध्य नहीं है तथा आवंटित भौतिक/वित्तीय सीमा में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों का नियमानुसार अनुपात भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- 11.4. योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। भौतिक लक्ष्य वित्तीय सीमा तक बढ़ाये जा सकते हैं। आवेदनों के निरस्तीकरण को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार आवंटित लक्ष्यों से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकती है।
- 11.6. सिंचाई पाईप लाईन स्थापना का कार्यक्रम यदि किसी अन्य योजना में भी लिया जाता है तो उक्त दिशा-निर्देश उसमें भी लागू होंगे।
- 11.7. जिलों को सिंचाई पाईप लाईन स्थापना के आवंटित लक्ष्यों के निरूपित प्रगति प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 3 तारीख तक, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जल उपयोग प्रकोष्ठ शाखा कृषि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से सुनिश्चितता

Signature valid

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:54 IST
Reason: Approved

करेंगे। खडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), प्रत्येक माह कार्यक्रम की समीक्षा कर खण्ड की प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायेगें।

- 11.8 राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से सिंचाई पाईप लाइन कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन आवेदन 30 सितम्बर 2025 तक प्राप्त किये जाएंगें। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृति 31 अक्टूबर 2025 तक ही जारी की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ायी जा सकेगी। आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जाएगा:-

क्र.सं.	आवेदन पत्रावली का निस्तारण	वर्ष 2025-26											
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2.	डॉक्यूमेंट स्कूटनी (दस्तावेज जांच)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3.	प्रशासनिक स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4.	पूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	वित्तीय स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Work Flow Chart Pipe Line

Pipe Line Application Received



7 Day

Document Scrutiny Approve



8 Day

A/S Generated



2 Month

Pipe Line established Completed by Farmer



10 Day

Post Verification



10 Day

F/S issue

14362-14533
24/03/25

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/सिंचाई पाईप लाइन /2025-26/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।

(चिन्मयी गोपाल)
Signature valid

Digitally signed by Chinnmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:54 IST
Reason: Approved

3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त.....।
9. निजी सचिव, आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त.....।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/ उद्यान, मु0 जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड
18. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/ प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्यालय, जयपुर।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
21. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, वाइस गोदाम, जयपुर।
22. संयुक्त निदेशक सू.प्रौ. एवं संचार विभाग (प्रभारी राजकिसान साथी पोर्टल)
23. उप निदेशक कृषि (सूचना/एनएमओओपी/सांख्यिकी/विस्तार) मु. जयपुर।
24. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।
25. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर
26. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी

आयुक्त कृषि

Signature valid

Digitally signed by Chinmayee
Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:54 IST
Reason: Approved